फॉर्मस फोरम का सम्मेलन
केंद्रीय बजट 2012–13 में भारतीय कृषि के लिऐ क्या है ?

विभिन्न राजनीतिक दलों और नौकरशाहों के महत्वूपर्ण व्यक्तियों की टिप्पणियां निम्न प्रकार से हैं :–

श्री सचिन पायलट
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री, भारत सरकार
किसानों का ध्यान रखे बिना भारत एक अग्रणी श्रेणी वाला देश नहीं बन सकता।

हाल ही के बजटों में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में राशि आबंटित की गई है किंतु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारत ने किसानों के लिए पर्याप्त किया है।

बहुत से क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जैसेः खाद्यान्नों के मूल्य तय करना। सरकार किसानों की उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है न कि अधिकतम – उसी मूल्य में उसे पूरे वर्ष में अपना गुजारा करना पड़ता है अर्थात् वित्त की समस्या।

छोटे–छोटे भूमि के टुकड़ों से किसानों के लिए समस्या इस कारण किसानों के लिए अति कठिन हो रहा है कि वे अपने परिवारों के लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न कर सकें। इस निराशाजनक स्थिति के कारण आत्महत्या जैसे मामले बढ़ते हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस प्रकार की खबरें केवल समाचार पत्रों में आधे इंच के कॉलम तक ही सीमित हैं और इससे मुझे दुःख होता है।

खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा और यहां तक कि आंतरिक सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उगाई गई फसलों और क्षेत्रीय जल उपलब्धता के बीच असमानता है। यह भी विपणन की समस्या है।

एक अलग विषय पर कहूँ तो मैंने अपने पिछले 10 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में एक भी ऐसे किसान से नहीं मिला जो यह चाहता हो कि उसके बच्चे खेती करें। यदि भूमि को जोतने वाले अपने कार्य पर गर्व नहीं करता है तो यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक
भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रमुख
किसान का बच्चा किसान बनने की अपेक्षा चपरासी बनना पसंद करता है।

अधिकतम राजनीतिक दलों और नेताओं के एजेंडा में किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है। वर्ष 1960 से खाद्य फसलों, विशेषकर दालों और तिलहनों के बीजों में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई है। इस अवधि के पश्चात कृषि क्षेत्रों में कोई अनुसंधान या विस्तार अधिक नहीं किया गया है।

भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनी भूखंडों पर उत्पादकता उतनी ही अच्छी है जितनी विश्व के किसी अन्य देश में होती है किंतु भारतीय खेत विश्व की उत्तम उपजों की आधी उत्पादकता ही कर पाते हैं।

भारतीय भूमि का क्षेत्र बढ़ नहीं रहा है बल्कि इसकी जनसंख्या बढ़ रही है और उतनी ही भूमि से अधिक उत्पादन करने के लिए बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा 60,000 करोड़ रू. के कृषि ऋण को एक बार साफ करने का निर्णय अति लोकप्रिय था किंतु यह पर्याप्त नहीं है। उद्योग और संबंधित क्षेत्रों का 40,000 करोड़ रू. का वार्षिक डूबा हुआ ऋण होता है किंतु इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है।

बहुत से स्थानों पर किसान अपनी उपजों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं।

आजकल हरियाणा में चपरासी के 50 पदों के लिए 2500 उम्मीदवार आवेदन करते हैं और उसमें से ज्यादातर किसानों के बच्चे होते हैं। वे चपरासी बनना अधिक पसंद करते हैं, न कि एक किसान। देश के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है ?

प्रो. अभिजीत सेन
सदस्य योजना आयोग
अनुसंधान पर अधिक बल देने वाले राज्यों को बेहतर परिणाम मिलेंगे।

कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों की पिछले काफी समय से प्रति व्यक्ति आय देश की शेष जनसंख्या की आय की तुलना में काफी गिर रही है। इसके कई कारण हैं – उत्तम लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत से युवा खेती नहीं करना चाहते क्योंकि महिलाएं उनसे शादी नहीं करना चाहती। अन्य कारण ये हैं कि पशुओं के पालन का बोझ उठा रही हैं।

इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र से बाहर भारत रोजगार उत्पन्न करने में असमर्थ है। यदि यह कार्य पूर्व में कर लिया जाता तो यह असमानता समाप्त हो सकती थी।

भारतीय कृषि की उत्पादकता उस दर से नहीं बढ़ी जिस दर से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने लक्ष्य निर्धारित किया था।

मेरा यह प्रयास है कि सबसे पहले सरकार यह जान ले कि कोई भी एक कोट ऐसा नहीं है जो कृषि की सभी समस्याओं के लिए फिट हो, क्योंकि भारत में अत्यधिक विविधता है। दूसरा हमें अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है और कृषि मामलों के प्रशासन में अधिक वरीयता देने की भी आवश्यकता है।

श्री वाई.सी. नन्दा,
पूर्व अध्यक्ष, नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट
कृषि ऋण जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँचता।

वर्ष 2001–02 में भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जो वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई उसमें सूचित किया गया है कि 1. 5 प्रतिशत से भी कम मझोले किसानों और 3 प्रतिशत से भी कम छोटे किसानों को वाणिज्यिक बैंकों से ऋण मिला है।

भारतीय रिजर्व बैंक छोटे संस्थानों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई महसूस करता है इस कारण उसने बड़े संस्थानों को भी प्रोत्साहित नहीं किया है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक छोटे संस्थानों को बंद करने के स्थान पर अपनी निगरानी और नियंत्रण क्षमता बढ़ाए तो किसानों को ऋण देना अत्यधिक सरल हो जाएगा।

जब तक भारतीय रिजर्व बैंक मूल परिवर्तन नहीं करता है, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा।

दुर्भाग्यवश भारतीय किसान नेताओं द्वारा किए गए वादों से आसानी से गुमराह हो जाते हैं।

श्री मोहन गुरूस्वामी
वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार और भारतीय कृषि में संकट में लेखक
खेती में आय कम हो रही है लेकिन सांसदों की आय एक संसदीय सत्र में ही 80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

भारतीय लोकतंत्र दुर्भाग्यवश अब लोगों का, कुछ लोगों के द्वारा और उनसे भी कम कुछ लोगों के लिए ही रह गया है। मुख्य बात यह है कि छोटे और मझोले किसान – पूरे भारत के किसानों का 80 प्रतिशत भाग जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में कार्य करते हैं – पूरी कृषि भूमि का 60 प्रतिशत भाग – इनके लिए राजनीति में कोई हितैषी नहीं है।

कृषि में सकल घरेलू उत्पाद जो स्वतंत्रता के समय 80 प्रतिशत था वह अब केवल 14 प्रतिशत रह गया है। साधारण रूप में इससे स्पष्ट होता है कि देश आर्थिक विकास के लिए अब कृषि पर भरोसा नहीं करता है। 1980 के दशक में कृषि में निवेश 15.4 प्रतिशत था और यह कम होकर 8.4 प्रतिशत रह गया है।

सबसे पहले सरकार को सिंचाई में निवेश करने की आवश्यकता है। पिछले 20 वर्षों में सरकार ने देश में सिंचित भूमि के लिए एक अतिरिक्त एकड़ सृजित करने के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की है।

कृषि क्षेत्र में खेतों के क्षेत्र के टुकड़े करना एक संवेदनशील स्थिति में पहुँच चुका है। प्रत्येक पीढ़ी के साथ–साथ भूमि का क्षेत्र कम होता जाता है। खेतों को बड़ा करने के लिए एक कारगर योजना बनाने की आवश्यकता है।

व्यय करने में असमानता हैः पंजाब में 90 प्रतिशत भाग सिंचित है जबकि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत भाग वर्षा आधारित है और जहां तक कि बिहार में भी जहां पर पांच नदियां बहती हैं वहां भी 40 प्रतिशत भूमि वर्षा पर आधारित है। भारत के कुछ राज्य अन्न भंडार से भरपूर हैं किंतु हो यह रहा है कि देश के एक भाग से राशि को दूसरे राज्य में अंतरित कर दिया जाता है किंतु यह अधिक समय तक नहीं चल सकता।

सुमन सहाय,
संयोजक, जिन कैंपेन्
देसी बीजों की आनुवांशिक क्षमता की पहचान करने की आवश्यकता।

इस वर्ष कृषि बजट का स्वरूप मिश्रित है। बजट के अनुसार 2 मिलियन टन अनाज के भंडारण हेतु निर्माण किया जाएगा जबकि वास्तव में 50 मिलियन टन अनाज के भंडारण की आवश्यकता होगी।

इस बजट में बुरी बात यह है कि यह एक आम बजट की तरह ही है। छत्तीसगढ़, झारखंड़, आंध्र–प्रदेश और अब उत्तराखंड़ में भी समस्या बढ़ रही है जो विशेष बात नहीं है किंतु सरकार की गलत कृषि नीतियों के प्रति किसानों की प्रतिक्रिया है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि, 'यदि कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं होगा तो किसी क्षेत्र में सुधार नहीं होगा।' उनके पश्चात आने वाली किसी सरकार ने भी इसका पालन नहीं किया। बजट को आधुनिक होना चाहिए और पारदर्शी तथा बड़े पैमाने पर होना चाहिए।

अन्य समस्या महिलाओं से संबंधित है जो कृषि में मुख्य भूमिका निभाती हैं, उन्हें बजट में लगभग अनदेखा किया गया है।

कृषि बजट में किसानों की समृद्धता पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसान खेतों से ही अपने घर नकद राशि लेकर जाऐं।

यदि भारत में व्यवहारिक कृषि पद्धति नहीं होगी तो कोई भी किसान खेतों तक नहीं जाएगा।

एक अन्य जलवायु परिवर्तन का विषय है जिस पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री बासुदेव आचार्य
अध्यक्ष, कृषि से संबंधित स्थायी समिति

कम होती भूमि और सिंचित क्षेत्र के टुकड़े

भारत की समस्या यह है कि राज्यों में समान विकास नहीं है। कुछ स्थानों पर अधिक वृद्धि है जबकि कुछ स्थानों पर स्थिर और अन्य राज्यों में नगण्य वृद्धि है। किंतु वृद्धि होने पर भी अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पिछले 15–20 वर्षों की तुलना में कम हो रही है। कृषि भूमि कम हो रही है। सीएसीपी का मूल्यों पर निर्णय आर्बिट्रेरली है, पिछले कुछ वर्षों में कृषि उपकरणों की लागत लगभग 40 से 50 प्रतिशत बढ़ी है किंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा है।

संपादकीय

श्री रमेश बी. माली, रायबाग, (कर्नाटका) ने मुझे सन् 1835 में ब्रिटिश संसद में श्री थॉमस बैबिंगटन मैकाले द्वारा दिऐ गऐ एक भाषण में बारे में लिखा जिसमें श्री मैकाले ने कहा था कि, 'मैंने सम्पूर्ण भारत की यात्रा की है तथा मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। मैंने इस देश में इतना धन देखा है.....मुझे लगता है कि जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोडेंगे तब तक हम इस देश को नहीं जीत सकते...।'

इस देश की रीढ़ की हड्डी कृषक समुदाय है तथा हमारी वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। हम भारत कृषक समाज की तरफ से माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार द्वारा प्रधानमंत्री जी का लिखे पत्र का समर्थन करते हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाई गई नितियों के परिणामस्वरूप किसानों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह मुद्दे उठाऐ गऐ हैं।

मैंने जैन इरिगेशन द्वारा 12 मार्च, 2012 को जलगांव, (महाराष्ट्र) में आयोजित हितधारकों की विचार–विमर्श बैठक में भाग लिया।

20 अप्रैल, 2012 को चंड़ीगढ़ में भारत कृषक समाज तथा सी.आई.आई. ने संयुक्त रूप से 'एग्री विजन 2020 : स्थायी कृषि; प्रौद्योगिकियों का उपयोगः संचयन समृद्धि' पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

ग्वार के बाजार मूल्य में भारी वृद्धि ने किसानों को उत्सुक कर दिया है तथा वह गेहूं की फसल के बाद लाभ के बीज बोना चाहते हैं। हालांकि कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि जब तक मिट्टी रेतीली है, तब तक विस्तार को सीमित ही रखें क्योंकि ग्वारी की बुआई में कम पानी की आवश्यकता होती है।

श्री एल.एस. राठौड़, महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि, 'भारत के मानसून में एल नीनो की आशंका के बावजूद 2012 में औसत वर्षा होने की संभावना है'।

कपास सलाहकार बोर्ड़ (सी.ए.बी.) द्वारा जारी आंकड़े आमतौर पर गलत हैं। सी.ए.बी. ने झूठा दावा किया है कि वर्ष 2011–12 के लिऐ कपास का ओपनिंग स्टॉक 39 लाख बेल्स है जबकि 2010–11 में कपास का क्लोसिंग स्टॉक 48.30 लाख बेल्स था। सी.ए.बी. ने यह भी कहा है कि 2011–12 में कपास की घरेलू खपत 252 लाख बेल्स होगी जबकि यह खपत 200 लाख बेल्स से अधिक हो ही नहीं सकती। सी.ए.बी. को भंग किया जाना चाहिऐ और कपास को कृषि मंत्रालय के तहत कृषि जिंस के रूप में उपयोग किया जाना चाहिऐ न कि वस्त्र और वाणिज्य मंत्रालय के प्रभाव के तहत उद्योग के लिऐ निवेश के रूप में।

भारत कृषक समाज द्वारा भूवनेश्वर, (उड़ीशा) में 20 मार्च, 2012 को आयोजित 59वीं अखिल भारतीय कृषक परिषद् की बैठक तथा 'खाद्य सुरक्षा' पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान हुऐ विचार–विमर्श की मुख्य विशेषताऐं :–

1. डॉ० पी.सी. मोहन्ती ने श्री एम.सी. भंडारे, माननीय राज्यपाल, उड़ीशा; डॉ० बलराम जाखड़, पूर्व राज्यपाल, मध्य–प्रदेश तथा अखिल भारतीय कृषक परिषद् के सदस्यों और अन्य किसान नेताओं का स्वागत किया।
2. श्री अजय वीर जाखड़, अध्यक्ष, भारत कृषक समाज ने पिछले एक साल में देश भर में समाज की गतिविधियों के बारे में सूचित किया तथा अगले वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं और संभव कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श किया। अध्यक्ष महोदय ने सभी को बताया कि वह पिछले एक वर्ष के दौरान 15 से ज्यादा राज्यों में विभिन्न किसान संबंधित कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं।
3. श्री एम.सी. भंडारे, राज्यपाल, उडीशा ने कृषक परिषद् की बैठक तथा संगोष्ठी का उद्घाटन किया और कहा कि किसान के लिऐ अनुकूल स्थिति के बारे में उनकी इच्छा तभी पूरी हो सकेगी जब इस देश का किसान अपने खेत से अपनी उपज को बेच सकेगा तथा उसका भुगतान वह अपने दरवाजे पर प्राप्त कर सकेगा, इससे पहले की सामग्री को कहीं दूर पहुँचाया जा रहा हो।
4. डॉ० बलराम जाखड़ जी ने किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को उन्मुख सब्सिडी दी जानी चाहिऐ क्योंकि यह देश के लिऐ महत्वपूर्ण है।
5. प्रो. डी.पी. रे, कुलपति, उड़ीशा कृषि विश्वविद्यालय ने भी प्रतिनिधियों को भोजन की उपलब्धता, बाजार से जुडाव तथा किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी।
6. श्री के.के. अग्रवाल ने बैठक का संचालन करते हुऐ दोपहर के सत्र में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के चुनाव की घोषणा की। श्री मंगत सिंह खनूजा, उपाध्यक्ष, भारत कृषक समाज ने श्री अजय वीर जाखड़ का नाम अध्यक्ष पद के दूसरे कार्यकाल के लिऐ प्रस्तावित किया। उनके नाम की सहमति श्री बी. रामा राव, आँध्र–प्रदेश तथा श्री बूटा सिंह बाजवा, पंजाब ने दी। सदन ने सर्वसम्मति से श्री अजय वीर जाखड़ के नाम को भारत कृषक समाज के अध्यक्ष पद के लिऐ आगामी 5 वर्षों (2012–2017) के लिऐ मंजूरी दे दी।
7. सदन ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष की विभिन्न बाधाओं के बावजूद अच्छा काम करने और कई मायनों में कृषक समुदाय को मदद के लिऐ सराहना की। सदन ने अध्यक्ष को 2012–2017 के लिऐ भारत कृषक समाज के उपाध्यक्षों तथा शासकीय समिति के सदस्यों को मनोनित करने के लिऐ भी अधिकृत किया।
8. श्री बूटा सिंह बाजवा ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया तथा अध्यक्ष महोदय को कहा कि कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि संभव हो तो अगली बैठक पुष्कर, (राजस्थान) में आयोजित की जानी चाहिऐ। उन्होंने डॉ० पी. सी. मोहन्ती तथा उनकी टीम की बैठक का आयोजन करने के लिऐ धन्यवाद दिया तथा उनके प्रयासों की सराहना की।

भारत कृषक समाज के वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान बने नऐ आजीवन सदस्यों की सूची :–

क्रमांक	राज्य	संख्या
1.	पंजाब	2601
2.	राजस्थान	1030
3.	हरियाणा	807
4.	कर्नाटका	350
5.	उड़ीशा	315
6.	मध्य–प्रदेश	132
7.	महाराष्ट्र	27
8.	उत्तर–प्रदेश	8
9.	दिल्ली	6
10.	आँध्र–प्रदेश	5
11.	तमिलनाडु	5
12.	पश्चिम–बंगाल	1
	कुल	5,287